Proposals for setting up of Wheel and Axle Plant and a Rail Coach Factory have not been found feasible at present because of the severe resource crunch.

(c) Details of the improvement and expansion works of rail services under-taken in Orissa during the last three years, year-wise is as under :— 1990-91 1989-90

No new rail expansion works were taken up. However, a number of continuing works were progressed during the year.

1. Doubling of Joranda Road Hindol Road Section	28 Kms (Length)	Rs. 24.30 crores (estimated cost)
2. Air-brake Wagon Maintenance Depot at Paradeep		Rs. 7 crores.
3. Computerised Passenger Reservation System at Bhubaneshwar		
4. Computerised Passenger Reservation System At Cuttack.		

199192

No new rail expansion works were taken up. However, a number of continuing improvement and expansion works like construction of Koraput-Rayagada new line, construction of Talcher-Sam-balpur new line, doubling of Talcher-Cuttack line and doubling of Lanjigarh Road,-Vijayanagaram Road line have been progressed further.

(d) A daily train service between New Delhi and Puri by New Delhi-Puri Express on 4 days, and by Neelachal Express on 3 days is already available.

Railway Accidents

2040- SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of train accidents during the lastl three years, zone-wise;

(b) the number of those which were due to derailments;

(c) the reasons for large number of accidents due to derailments; and

(a) the steps being taken to reduce the derailments ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY Of- RAILWAYS (SHRI MALLIKARIUN) : (a) and (b). Railway Zone-wise information regarding total number of train accidents and derailments during the last three years ended 1990-91 is as under :—

Railway	Total No. of train accidents	No. of derailment
Central	167	133
Eastern	210	172
Northern	211	165
North Eastern	78	60
Northeast Frontier	151	142
Southern	172	149
South Central	155	133
South Eastern	311	275
Western	162	130

(c) The main causes of derailments were failure of railway staff, equipment failure and sabotage.

(d) Some of the important steps being taken to reduce derailments are induction of technical devices to aid the human element, intensive and frequent inspections of sensitive installations, monitoring the performance of critical safety categories such' as drivers, guards and station masters and patrolling of track etc.

सेवा निवृत होने वाले रेल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजना

2041. **श्री अजीत जोगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए एक उदार स्वास्थ्य योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में कर्मचारियों से लिए जाने वाले अंशदान हेतु क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(घ) इस योजना के अधीन क्या-क्या सेवाएं प्रदान की जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी, उसकी पत्नी/उसका पति तथा एक आय सीमा के अंतर्गत आने पर आश्रित विधवा मां भी, अंतिम माह के मूल वेतन का एक -बारगी अंशदान करने पर रेलवे अस्पतालों/स्वास्थ्य यूनिटों में निशुल्क बहिरंग तथा अंतरंग उपचार कराने के पात्र हैं। उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में भेजे जाने वाले मामलों में उपचार पर आने वाले खर्च के 50% खर्च की प्रतिपूर्ति, कृत्रिम अंग की एक बार निशुल्क सप्लाई तथा पेस मेकरों, रेलवे अस्पतालों में प्रत्यारोपण किए जाने पर, की मामूली लागत पर सप्लाई

विकलांग व्यक्तियों को रेल किराए में रियायत

2042. **कुमारी आत्लिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों को रेल किराये में रियायत देती है; और

(ख) यदि हां, तो विकलांगों के साथ रक्षार्थ जाने वालों को क्या रियायत दी जाती है और ऐसी रियायत कितने प्रतिशत दी जाती है और किस गाड़ी (सुपरफास्ट, मेल, एक्सप्रेस आदि) में और किस श्रेणी में दी जाती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जब अपने सहयोगी के साथ यात्रा करता है तो उसे पहले और दूसरे दर्जे में 75 प्रतिशत की रियायत दी जाती है लेकिन इसके लिए उसे सरकारी डाक्टर या आर्थोपेडिक सर्जन से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है कि संबंधित व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से विकलांग है और वह बिना सहयोगी के यात्रा नहीं कर सकता है। इस रियायत के लिए सहयोगी भी पात्र है। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रस और नई दिल्ली-बम्बई सेंट्रल ए.सी. एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर उन्हें मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों, जिनमें सुपर, फास्ट गाड़ियां भी शामिल हैं, में यात्रा करने की अनुमति है लेकिन हर मेल एक्सप्रेस गाड़ी में आम जनता पर जो अन्यथा दूरी प्रतिबंध लागू होते हैं। वे ही दूरी प्रतिबंध उन पर भी लागू होते हैं।